पत्र संख्या-विधि-1-(3) ईट भट्ठा-समा0यो0 (2011-12)/ **1286** / **1112082** / वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ:: **19** दिसम्बर, 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण)
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय:- ईट भट्ठा सीजन वर्ष 2011-2012 में दिनांक 01-10-2011 से दिनांक 30-09-2012 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्तगर्त ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईंट भट्ठों मे निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ो तथा राबिश की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू एवं लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र मे माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिये जाने से संबंधित समाधान योजना लागू किया जाना ।

शासन के पत्र संख्या-क0नि0 1318/ग्यारह-2-2011-9(32)/09 दिनांक 19-12-2011 द्वारा ईंट भट्ठा सीजन वर्ष 2011-2012 में दिनांक 01-10-2011 से दिनांक 30-09-2012 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्ठों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। शासन का उक्त निर्देश पत्र इस पत्र के साथ अनुपालनार्थ संलग्न किया जा रहा है।

2- सीजन वर्ष 2011-2012 (दिनांक 01-10-2011 से दिनांक 30-09-2012 तक) की अवधि के लिए समाधान राशि सीजन वर्ष 2010-2011 की अवधि के लिए विभिन्न पायो के भट्ठों के लिए निर्धारित समाधान राशि के बराबर निर्धारित की गयी है, जो निम्नवत् हैं :-

ईट भट्ठा सीजन वर्ष 2011-2012 के लिए निर्धारित समाधान राशियां

पायों की संख्या	सीजन वर्ष 2011-2012 (दि0-1-10-11 से दि0 30-9-2012 तक) की अवधि के लिए **निर्धारित मूल्य संवर्धित कर** की समाधान राशि		सीजन वर्ष 2011-2012 (दि0-1-10-11 से दि0 30-9-2012 तक) की अवधि के लिए **निर्धारित प्रवेश कर** की समाधान राशि	
	नान हाई ड्राट	**हाई ड्राट**	**नान हाई ड्राट**	**हाई ड्राट**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
15	95785	105363	9579	10536
16	115379	126916	11538	12692
17	137147	150861	13715	15086
18	161092	177203	16109	17720

19	189393	208334	18939	20833
20	217693	239461	21769	23946
21	248171	272988	24817	27299
22	283000	311300	28300	31130
23	324362	356799	32436	35680
24	367901	404693	36790	40469
25	413618	454980	41362	45498
26	463686	510056	46369	51006
27	515932	567525	51593	56752
28	568178	624998	56818	62500
29	620428	682470	62043	68247
30	672669	739935	67267	73993
31	724919	797412	72492	79741
32	777165	854880	77716	85488
33	829410	912353	82941	91235
34	881656	969821	88166	96982
35	936079	1029687	93608	102969
36	990502	1089552	99050	108955
37	1044926	1149417	104493	114942
38	1099349	1209282	109935	120928
39	1153772	1269151	115377	126915
40	1208195	1329017	120820	132902
41	1262619	1388882	126262	138888
42	1317042	1448747	131704	144875
43	1371465	1508612	137147	150861
44	1425888	1568477	142589	156848
45	1480312	1628342	148031	162834
46	1534735	1688208	153473	168821
47	1589158	1748073	158916	174807

3- समाधान योजना से सम्बन्धित **समाधान प्रार्थना पत्र का प्रारुप-1 एवं शपथ पत्र /अनुबन्ध-पत्र के प्रारुप-2** संलग्न किये जा रहे हैं।

4- सीजन वर्ष 2011-2012 (दिनांक 1-10-2011 से दिनांक 30-9-2012 तक) की अवधि में समाधान योजना अपनाने वाले ईट भट्ठो के सम्बन्ध में निम्नलिखित **प्रारुप-1(क) व प्रारुप-1(ख)** में तथा समाधान येाजना न अपनाने वाले भट्ठो के सम्बन्ध में **प्रारुप-2** में अलग-अलग सूचनायें सम्बन्धित **जोनल एडीशनल कमिश्नर प्रत्येक दशा में दिनांक 25-01-2012** तक मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त ब्याज सहित जमा समाधान राशियों के साथ प्राप्त समाधान प्रार्थना पत्रों को भी समाहित करते हुए सूचनाएं **दिनांक 10-02-2012** तक मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। तत्पश्चात् **प्रत्येक माह के लिए**

अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त प्रारुप-1(क) व प्रारुप-1 (ख) तथा प्रारुप-2 में सूचनायें मुख्यालय उपलब्ध करायी जायेंगी।

प्रारुप-1(क)

समाधान योजना अपनाने वाले भट्ठों से सम्बन्धित विवरण

दिनांक 01-10-2011 से पूर्व स्थापित एवं पंजीकृत भट्ठों से सम्बन्धित सूचना

(धनराशि लाख रुपये में)

जितने पाये का भट्ठा है	समाधान योजना अपनाने वाले भट्ठो की संख्या	पूरे सीजन वर्ष के लिए मूल्य संवर्धित कर व प्रवेश कर की कुल **देय समाधान राशि** का विवरण			मूल्य संवर्धित कर की जमा समाधान राशि	प्रवेश कर की जमा समाधान राशि	व्याज, यदि जमा हो	जमा धन राशियों का योग (6+7)
		देय मूल्य संवर्धित कर की समाधान राशि	देय प्रवेश कर की समाधान राशि	योग (3+4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल योग								

प्रारुप-1 (ख)

समाधान योजना अपनाने वाले भट्ठो से सम्बन्धित विवरण

दिनांक 01-10-2011 के पश्चात स्थापित एवं पंजीक़ृत भट्ठों से सम्बन्धित सूचना

(धनराशि लाख रुपये में)

जितने पाये का भट्ठा है	समाधान योजना अपनाने वाले भट्ठो की संख्या	पूरे सीजन वर्ष के लिए मूल्य संवर्धित कर व प्रवेश कर की कुल **देय समाधान राशि** का विवरण			मूल्य संवर्धित कर की जमा समाधान राशि	प्रवेश कर की जमा समाधान राशि	व्याज, यदि जमा हो	जमा धन राशियों का योग (6+7)
		देय मूल्य संवर्धित कर की समाधान राशि	देय प्रवेश कर की समाधान राशि	योग (3+4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल योग								

प्रारुप-2

समाधान योजना न अपनाने वाले भट्ठो से सम्बन्धित विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

जितने पाये का भट्ठा है	कुल भट्ठों की संख्या	समाधान योजना से बाहर रहने वाले भट्ठो की संख्या	समाधान योजना से बाहर रहने वाले भट्ठो के सम्बन्ध में					
			घोषित बिक्री	स्वीकृत जमा मूल्य सम्वर्धित कर	स्वीकृत जमा प्रवेश कर	अस्थायी कर निर्धारण द्वारा आरोपित कर	जमा कर	बकाया कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल योग :-								

5- कृपया शासन के निर्देशानुसार अधीनस्थ अधिकारियों से कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तथा शासन के निर्देश से व्यापारिक संगठनों को एवं अधिवक्ता संघों को भी अवगत कराते हुए इस योजना की सफलता के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाये।

संलग्नक- 1- शासन के निर्देश।

2- समाधान प्रार्थना पत्र का प्रारुप- 1

3- शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र का प्रारुप-2

(विनोद कुमार)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(विधि)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।

(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)

(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0

(5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।

(6) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त डिप्टी कमिश्नर / अस्स्टिेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0 / स0द0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(9) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।

(10) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।

(11) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।

(12) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।

(13) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(14) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

(15) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिगं जोन,सेक्टर 10नोयडा ।
(16) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
(17) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
(18) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियॉ में ।
(19) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ ।
(20) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(21) अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293अमीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ ।
(22) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।
(23) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उार प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
(24) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
(25) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलश़ाफा लखनऊ।
(26) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
(27) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
(28) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
(29) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
(30) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
(31) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
(32) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
(33) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
(34) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,महा सचिव,उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर
(35) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
(36) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(37) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
(38) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
(39) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
(40) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुॅजगली,चौक,वाराणसी ।
(41) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
(42) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
(43) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
(44) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
(45) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
(46) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल,उत्तर प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
(47) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
(48) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
(49) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
(50) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(51) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
(52) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
(53) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
(54) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ ।
(55) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायक निवास, दारुल शफा,लखनऊ ।
(56) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ ।
(57) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
(58) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।

(59) अध्यक्ष , इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।

(60) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।

(61) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।

(62) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।

(63) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(64) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।

(65) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।

(66) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।

(67) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।

(68) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(बी0एन0 द्विवेदी)
ज्वाइंट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

समाधान योजना में सम्मिलित होने के लिये प्रार्थना पत्र :- प्रारुप-1

वर्ष 2011-2012 में दिनांक 01-10-2011 से दिनांक 30-09-2012 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-6 के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटो, ईंट भट्टो में निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित **समाधान प्रार्थना पत्र ।**

सेवा में,

डिप्टी / असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,

खण्ड-----------------

मंडल / उपमंडल --------------------------------जनपद ---------------------

महोदय,

मै, फर्म सर्वश्री --

जिसका मुख्यालय--पर स्थित है तथा जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-17 में खण्ड/ मण्डल / उपमण्डल कार्यालय ---द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या (टिन) ------------------------ दिनांक ---------------------से प्रभावी जारी किया गया अथवा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए पंजीयन प्राधिकारी / डिप्टी / असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड / मंडल/ उपमण्डल -------------------------------के कार्यालय में रसीद संख्या--------------- दिनांक ------------- से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी / साझीदार-------------------- हूँ । मैने ईंट निर्माताओं द्वारा अपने भट्टे में निर्मित ईंटों, भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ों तथा राबिस की दिनांक 01-10-2011 से 30-09-2012 तक की अवधि में की गई बिक्री पर तथा उक्त ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में धारा-6 में एक मुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्ण रुप से सुन लिया है और भली भॉंति समझ लिया है । शासन के इन निर्देशों की सभी शर्ते मुझे मान्य है । उन्ही के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र, उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

मै उक्त फर्म द्वारा ईंटों, ईंट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ों तथा राबिस की सीजन वर्ष 2011-2012 में दिनांक 01-10-2011 से 30-09-2012 तक में हुई बिक्री तथा इसी अवधि में ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एक मुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु पूरे सीजन वर्ष 2011-2012 (दिनांक 1-10-2011 से 30-9-2012) के लिए ---------पाया के भट्ठे के लिए मूल्य सम्वर्धित कर की समाधान राशि रुपये --------- एवं प्रवेश कर की समाधान राशि रुपये----------------- अर्थात् पूरे सीजन वर्ष के लिए कुल देय समाधान राशि रुपये ------------------- की एक मुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के अनुसार स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ । पूरे सीजन वर्ष के लिये उपरोक्तानुसार कुल देय समाधान राशि में से समाधान प्रार्थना पत्र के साथ मूल्य संवर्धित कर की समाधान शुल्क रुपया----------- एवं कोयले पर देय प्रवेश कर की समाधान राशि रुपया-------------- अर्थात् कुल समाधान राशि रुपये ------------------- मैने चालान संख्या-----------------

दिनांक -----------------द्वारा---------------------(बैंक / शाखा का नाम) में जमा कर दिया है, जिसकी प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

शासन के निर्देश पत्र के उपप्रस्तर (16) में अंकित प्राविधानों के अनुसार यदि ईट भट्ठा सीजन वर्ष 2011-2012 के पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत भट्ठों से **रुपये 358.85 करोड़** से कम धनराशि के लिए समाधान के विकल्प प्रार्थना पत्र प्राप्त होतें हैं तो समाधान योजना अपनाने वाले ऐसे भट्ठों द्वारा अवशेष राशि के समानुपातिक रुप से क्षतिपूर्ति की जायेगी और तद्नुसार कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा आगामी किश्तों का निर्धारण माह फरवरी, 2012 के बाद अनुपातिक रुप से किया जायेगा अथवा समाधान योजना अस्वीकार करने पर भी शासन विचार कर सकता है तथा उपप्रस्तर (17) के प्राविधानों के अनुसार उपप्रस्तर (16) के अनुसार किश्तों की समाधान राशि संशोधित किये जाने की स्थिति में सीजन वर्ष 2011-12 के दौरान स्थापित ईट भट्ठों को भी तद्नुसार संशोधित समाधान राशि जमा करनी होगी। इन शर्तों के लिए मैं/हम पूर्णतया सहमत हॅू/हैं।

दिनांक 01-10-2011 को मेरे यहॉ स्टाक निम्नवत् था:-

क्रम संख्या	**मद**	**संख्या/ मात्रा**	**स्थान जहॉ स्टाक है**
01	पक्की ईंटे		
02	ईंटों के रोड़े		
03	भट्ठो में निर्मित टाइल्स		
04	राबिस		
05	कोयला		
06	लकड़ी		
07	बालू		
08	लकड़ी का बुरादा		

संलग्नक:- यथोपरि

दिनांक -----------------------

हस्ताक्षर------------------

पूरा पता-----------------

प्रास्थिति----------------

फर्म का नाम व पता -------------------

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रुप से जानता हॅू। यह फर्म -------- -----------------------के स्वामी / साझीदार------------------------है तथा इस प्रार्थना पत्र पर इन्होने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर------------

पूरा नाम---

पूरा पता---

समाधान योजना में सम्मिलित होने के लिये शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र :- प्रारुप-2

समक्ष डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,

खण्ड-----------------

मंडल / उपमंडल ------------------------जनपद ---------------------

मैं-------------------------------------पुत्र श्री-------------------------आयु लगभग-------वर्ष स्थायी निवासी-------------------------------------(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूॅ कि :-

1- मैं, फर्म स्वामी सर्वश्री ---जिसका मुख्यालय--(पूरा पता) पर स्थित है, का स्वामी / साझीदार ------------------------------(प्रास्थिति) हूॅ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूॅ।

2- मेरी फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	पूरा पता	वस्तुएं जिनका निर्माण या व्यापार होता है	निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादो का विवरण
01	मुख्यालय		
02	शाखाएं (अ) (ब) (स)		

3- वर्ष 2011-2012 में दिनांक 01-10-2011 से 30-09-2012 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटो, ईंट भट्टो मे निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ो तथा राबिस की बिक्री और ईंटो के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तो तथा कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये आदेशो एवं प्रतिबन्धों की पूरी पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है तथा सभी निर्देश, शर्ते तथा प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य है और सदा रहेंगे।

4- मेरी उक्त फर्म के अपने निजी एवं लीज पर निम्नलिखित ईट भट्ठे सीजन वर्ष 2011-2012 में 01-10-2011 से 30-09-2012 की अवधि में है :-

भट्ठों की संख्या	भट्ठे की प्रकृति (नॉन हाईड्राट/ हाईड्राट)	जितने पाये का भट्ठा है	एक समय में कितने स्थानों पर फुकाई होती है	प्रत्येक भट्ठे के लिए प्रस्तावित पूरे सीजन वर्ष के लिए एकमुश्त कुल समाधान राशि			
				मूल्य सम्वर्धित कर समाधान राशि	प्रवेश कर समाधान राशि	ब्याज, यदि देय व जमा हो	कुल योग (स्तम्भ 5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8

सभी भट्ठों के लिए पूरे सीजन वर्ष हेतु कुल समाधान राशि का योग रुपया ------------------------

5- प्रस्तर 4 में अंकित भट्ठो तथा प्रस्तर-4 की तालिका के स्तम्भ-8 में अंकित धनराशि का कुल योग रुपया--------------------होता है, जो मेरी / हमारी फर्म द्वारा पूरे सीजन वर्ष के लिए देय है। पूरे सीजन

वर्ष के लिए देय उपरोक्तानुसार कुल समाधान राशि रुपये -------------------- मे से प्रथम किश्त के रुप में देय रुपये ------------------------ का चालान समाधान प्रार्थना पत्र / शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के साथ संलग्न है ।

6- शासन के निर्देश पत्र के उपप्रस्तर (16) में अंकित प्राविधानों के अनुसार यदि ईट भट्ठा सीजन वर्ष 2011-2012 के पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत भट्ठों से **रुपये 358.85 करोड़** से कम धनराशि के लिए समाधान के विकल्प प्रार्थना पत्र प्राप्त होतें हैं तो समाधान योजना अपनाने वाले ऐसे भट्ठों द्वारा अवशेष राशि के समानुपातिक रुप से क्षतिपूर्ति की जायेगी और तद्नुसार कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा आगामी किश्तों का निर्धारण माह फरवरी, 2012 के बाद अनुपातिक रुप से किया जायेगा अथवा समाधान योजना अस्वीकार करने पर भी शासन विचार कर सकता है तथा उपप्रस्तर (17) के प्राविधानों के अनुसार उपप्रस्तर (16) के अनुसार किश्तों की समाधान राशि संशोधित किये जाने की स्थिति में सीजन वर्ष 2011-12 के दौरान स्थापित ईट भट्ठों को भी तद्नुसार संशोधित समाधान राशि जमा करनी होगी । इन शर्तों के लिए मैं/हम पूर्णतया सहमत हूॅ/हैं ।

7- यदि वर्ष 2011-2012 में दिनांक 01-10-2011 से 30-09-2012 तक की अवधि हेतु धारा-6 में मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के साथ अनुलग्नक प्रारुप-1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा लगायी गयी शर्तो / प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशो का पालन करने तथा अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बाध्य होगी । शासनादेश / परिपत्र में दिये गये निर्देशों और निर्धारित शर्तो का अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग, नियमानुसार कार्यवाहियां मेरी फर्म के विरुद्ध कर सकेगा ।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार ।

हस्ताक्षर------------------
पूरा पता-----------------
प्रास्थिति----------------
फर्म का नाम व पता -------------------

घोषणा

मैं---घोषणा करता हूॅ कि शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर (1) से (7) में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नही गया है । यह भी घोषणा करता हूॅ कि इस शपथ पत्र / अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तो और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे ।

साक्षी के हस्ताक्षर---------------------------
नाम एवं पता -------------------------------
तिथि एवं स्थान-----------------------------

हस्ताक्षर------------------
पूरा पता-----------------
प्रास्थिति----------------
फर्म का नाम व पता --------------------------

संख्या:–क0नि0– 1318 /ग्यारह–2–2011–9(32)/09

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 लखनऊ::दिनांक:: १९ दिसम्बर, 2011

विषय : ईट भट्टा सीजन वर्ष 2011–2012 (दिनांक 01–10–2011 से दिनांक 30–09–2012 तक) हेतु ईंट निर्माता व्यापारियों के लिए समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के ईट निर्माता व्यापारियों के लिये ईट भट्टा सीजन वर्ष 2011–12 में दिनांक 1.10.2011 से 30.9.2012 तक की अवधि के लिये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिए जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू की जाय। इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं। समाधान संबंधी प्रार्थना–पत्र/शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र गत वर्षो के अनुरूप कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 द्वारा जारी किया जायेगा। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कमिश्नर, वाणिज्यकर समाधान राशि की गणना नान–हाईड्राट भट्टों व हाईड्रांट भट्टों के लिये अलग–अलग करते हुए विस्तृत निर्देश अपने स्तर से जारी करेंगे।

2. इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करने एवं योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व के आंकडे भी यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

विषय : ईट भट्टा सीजन वर्ष 2011–2012 (दिनांक 01–10–2011 से दिनांक 30–09–2012 तक) हेतु ईंट निर्माता व्यापारियों के लिए समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में शासन के निर्देश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अधीन उत्तर प्रदेश में ईटों के निर्माताओं से उनके द्वारा सीजन वर्ष 2011–12 में दिनांक 01.10.2011 से दिनांक 30.09.2012 तक की अवधि में निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर एवं प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि (जिसे आगे समाधान राशि कहा गया है) कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार की जा सकती हैः–

(1) सीजन वर्ष 2011–12 (दिनांक 01.10.2011 से 30.9.2012 तक) की अवधि के लिये समाधान राशि सीजन वर्ष 2010–11 की अवधि के लिये कमिश्नर वाणिज्य कर के परिपत्र दिनांक 06.04.2011 द्वारा समाधान राशियों में 5.30 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात् विभिन्न पायों के भट्टों के लिये निर्धारित समाधान राशि के बराबर निर्धारित कर दी जाय।

(2) कतिपय ईट भट्टो में फुकाई शीघ्र पूरी किये जाने के उद्देश्य से हाई ड्राट तकनीक भी लगायी जाती है। हाई ड्राट भट्ठों के लिए समाधान राशि, नॉन हाई ड्राट भट्टों के लिए निर्धारित समाधान राशि से 10 प्रतिशत अधिक होगी।

(3) कोयले की खरीद पर देय प्रवेश कर के विकल्प के रूप में समाधान राशि निर्धारित समाधान धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगी तथा कोयले पर प्रवेश कर के विकल्प के रूप में समाधान योजना अपनाने के लिये तद्नुसार समाधान राशि जमा करनी होगी।

(4) सीजन वर्ष 2011–12 के प्रारम्भ अर्थात दिनांक 01.10.2011 से पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत ईंट भट्ठों की ओर से कम से कम रू0 358.85 करोड़ की धनराशि जमा की जायेगी।

(5) समाधान योजना के कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्रित करने के 30 दिन के अंदर ईंट भट्ठा व्यवसाइयों द्वारा समाधान योजना हेतु विकल्प का प्रार्थना–पत्र निर्धारित समाधान धनराशि के जमा के प्रमाण के साथ सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उसके पश्चात यदि 15 दिन के अंदर इस अवधि के लिए देय समाधान राशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करके समाधान योजना का

विकल्प प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब भी इसे स्वीकार कर लिया जायेगा। उक्त दोनों समय सीमा के बाद राजस्व हित में समाधान योजना का विकल्प देने के लिये अधिकतम 30 दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का अधिकार कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 को प्रदान कर दिया जाये एवं विकल्प हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के उपरान्त कमिश्नर, वाणिज्यकर उ0प्र0 द्वारा अनुमन्य की गयी अवधि तक के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित समाधान राशि जमा करनी होगी।

(6) सीजन वर्ष 2011–12 की समाधान योजना हेतु नियत समाधान राशि के 20 प्रतिशत के बराबर समाधान राशि के जमा करने के प्रमाण के साथ प्रार्थना–पत्र व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। देय सम्पूर्ण समाधान राशि का क्रमशः 20 प्रतिशत भाग दिनांक 31 जनवरी, 2012 तक, 20 प्रतिशत भाग 20 फरवरी, 2012 तक, 10 प्रतिशत भाग दिनांक 20 मार्च, 2012 तक, 10 प्रतिशत भाग दिनांक 25 मार्च, 2012 तक, 10 प्रतिशत भाग दिनांक 20 अप्रैल, 2012 तक एवं 10 प्रतिशत भाग दिनांक 20 मई, 2012 तक जमा किया जायेगा। उक्तानुसार निर्धारित किश्तें निर्धारित समय तक नहीं जमा करने की स्थिति में 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा।

(7) समाधान योजना परिपत्रित होने के पूर्व जारी किये गये टैक्स इन्वाईस के अनुसार वसूल की गयी कर की धनराशि का कोई लाभ समाधान योजना अपनाने वाले ईंट निर्माताओं को देय धनराशि में नहीं दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कर के रूप में जमा की गयी धनराशि, जिसमें अस्थायी कर निर्धारण के फलस्वरूप जमा कर की धनराशि भी सम्मिलित है, समाधान राशि में समायोजित की जायेगी परन्तु किसी भी प्रकार के अर्थदण्ड अथवा ब्याज की धनराशि निर्धारित समाधान राशि में समायोजित नहीं की जायेगी।

(8) समाधान योजना अपनाने वाले ईंट भट्ठा व्यवसाइयों को आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य नहीं होगा तथा इन व्यापारियों द्वारा समाधान की अवधि में न तो कोई कर वसूल किया जायेगा और न ही कोई टैक्स इन्वाईस जारी की जायेगी।

(9) समाधान योजना अपनाने वाले ईंट भट्ठा व्यापारियों से समाधान योजना निर्गत होने के पूर्व टैक्स इन्वाईस से क्रय करने वाले पंजीकृत क्रेता व्यापारियों को आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य नहीं हो सकेगा, परन्तु ऐसे क्रेता व्यापारियों को हानि से बचाने के लिए उपयुक्त होगा कि आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं होने के कारण यदि कोई मांग सृजित होती है, तो उसे माफ करने का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को दे दिया जाय।

(10) कोई व्यापारी जिस भट्ठे के लिए समाधान योजना का विकल्प चुनता है, समाधान योजना केवल उसी भट्ठे के लिए लागू मानी जायेगी। व्यापारी यदि उससे भिन्न किसी भट्ठे से भी निर्मित किसी माल की बिक्री करते हैं या अन्य प्रकार के क्रय विक्रय के कार्य करते हैं, तो अन्य भट्ठे पर निर्मित माल अथवा अन्य प्रकार के क्रय विक्रय पर देय कर इस समाधान योजना से आच्छादित नहीं होगा।

(11) यदि किसी ईंट निर्माता द्वारा गत सीजन वर्षों में समाधान योजना अपनायी गयी थी, परन्तु समाधान राशि की सभी किश्तें जमा नहीं की गयी हैं, तो उक्त बकाया समाधान राशि ब्याज सहित जमा करने के प्रमाण–पत्र के साथ ही इस सीजन वर्ष के लिए दिये गये समाधान प्रार्थना–पत्र को समाधान राशि के साथ जमा करने पर स्वीकार किया जायेगा, अन्यथा समाधान योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(12) केवल पंजीकृत व्यापारी तथा ऐसे व्यापारी जिन्होंने पंजीयन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है और वह अस्वीकृत नहीं हुआ हो, इस योजना के पात्र होंगे।

(13) इस योजना में भाग लेने वाले व्यापारियों द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर उ0प्र0 मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्य किसी प्राविधान की कोई भी अन्य रियायत अनुमन्य नहीं होगी।

(14) सीजन वर्ष के दौरान नये खुदे हुए ईंट भट्ठों में फुंकाई आरंभ होने की तिथि से 30 दिन के अंदर समाधान योजना हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(15) यदि सीजन वर्ष के दौरान दिनांक 31 मार्च, 2012 तक फुंकाई प्रारम्भ कर दी जाती है तो पूरे सीजन वर्ष के लिए नियत समाधान राशि देय होगी, लेकिन यदि नये खुदे भट्ठे में फुंकाई दिनांक 31 मार्च, 2012 के पश्चात की जाती है, तो समाधान राशि पूरे सीजन वर्ष के लिए नियत समाधान राशि के 75 प्रतिशत के बराबर देय होगी।

(16) यदि ईंट भट्ठा सीजन वर्ष 2011–12 के पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत भट्ठों से रु0 358.85 करोड़ से कम धनराशि के लिए समाधान के विकल्प प्रार्थना–पत्र प्राप्त होते हैं तो समाधान योजना अपनाने वाले ऐसे भट्ठों द्वारा अवशेष राशि के समानुपातिक रूप से क्षतिपूर्ति की जायेगी और तद्नुसार कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा आगामी किश्तों का निर्धारण माह फरवरी, 2012 के बाद अनुपातिक रूप से किया जायेगा अथवा समाधान योजना अस्वीकार करने पर भी शासन विचार कर सकता है।

(17) उपप्रस्तर (16) के अनुसार किश्तों की समाधान राशि संशोधित किये जाने की स्थिति में सीजन वर्ष 2011–12 के दौरान स्थापित ईट भट्ठों को भी तद्नुसार संशोधित समाधान राशि जमा करनी होगी।

(18) दिनांक 01.10.2011 के पूर्व स्थापित एवं पंजीकृत पुराने भट्ठों से लक्षित समाधान राशि प्राप्त हो जाने की दशा में जिस व्यापारी द्वारा पूरे सीजन वर्ष के लिये देय समाधान राशि दिनांक 25.03.2012 तक जमा कर दी जाती है, उसे जमा धनराशि का 5 प्रतिशत सीजन वर्ष 2012–13 में समाधान योजना अपनाने पर देय समाधान राशि में समायोजित किया जायेगा।

(19) प्रार्थना–पत्र तथा शपथ–पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ईंट भटठों आदि की जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी जांच के समय ईंट निर्माता व्यापारी अथवा उनके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि जांच कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे। व्यवधान उत्पन्न होने अथवा असहयोग करने की स्थिति में प्रार्थना–पत्र तथा शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जायेगा। साथ ही यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा उचित समझा जाय तो प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जा सकता है तथा उ0प्र0 मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(20) समाधान प्रार्थना–पत्र, शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र का प्रारूप कमिश्नर, वाणिज्यकर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(21) विवादित बिन्दु पर कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 का निर्णय अंतिम होगा ।

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।